

2					
3					
4					
5					

16. सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं/सहकारिता विभाग में कार्य अनुभव यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सहित:-

क्र०सं०	पद का नाम	कार्ययोजित सहकारी समिति/संस्था/परियोजना/विभाग का नाम	कब से कब तक कार्यरत रहे	कुल कार्यानुभव

17.वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण:-

पद का नाम	नियुक्ति का स्थान	सेवायोजक का नाम	सेवा में प्रवेश की तिथि	वेतनमान

(अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करें)

18. क्या किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा आपको कभी दण्ड मिला है यदि हाँ तो यह दण्ड क्या था और किन परिस्थितियों में मिला.....

19. बैंक ड्राफ्ट का विवरण

बैंक का नाम..... ड्राफ्ट संख्या.....

धनराशि..... दिनांक.....

20. विज्ञप्ति में वर्णित प्रमाण पत्रों का विवरण जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है:-

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 2 | 3 |
| 4. | 5. | 6. |

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा:-

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति. श्रीइस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिया गया विवरण मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। और यदि उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र, आदि में कोई भी कथन वर्तमान अथवा भविष्य में असत्य पाया गया तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊंगा/दी जाऊंगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ यदि चयन के बाद मैं नियुक्त हो गया/गयी, तो नौकरी से हटा दिया जाऊंगा/हटा दी जाऊंगी एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, देहरादून

वर्ग-4 (सहयोगी/गार्ड) के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति

डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, देहरादून में वर्ग-4 (सहयोगी/गार्ड) के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। यह रिक्तियां अस्थायी हैं, किन्तु उनके चलते रहने की सम्भावना है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में बैंक को रिक्तियां निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाय।

विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि	30.10.2020
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	29.11.2020

1. रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण :-

पदनाम	श्रेणी	रिक्तपद	क्षेत्रीय आरक्षण के अर्न्तत रिक्त पदों की संख्या				
			महिला	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
वर्ग -4 (सहयोगी/गार्ड)	अनु0जा0	13	4	—	—	—	—
	अनु0जन0जा0	03	—	—	—	—	—
	अ0पि0व0	08	2	—	—	—	—
	आ0क0व0	05	2	—	—	—	—
	सामान्य	32	10	—	02	01	01
	योग	61	18	—	—	02	01

नोट:- अनु0जा0 - अनुसूचित जाति
अ0पि0व0 - अन्य पिछड़ा वर्ग

अनु0जन0जा0- अनुसूचित जनजाति
आ0क0व0- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

(ii) वेतनमान - 12500-400/5-14500-500/5-17000-720/5-20600-850/5-24850

2. अर्हतायें:-

(क) शैक्षिक व अन्य योग्यता :-

(i) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के किसी भी जनपद का अधिवासी/स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो।

(ख) आयु :- विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अ0पि0व0, भूतपूर्व सैनिक एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

नोट:- जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे, वे नियुक्ति प्राधिकारी को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(ग) आरक्षण:-

(i) उर्ध्व आरक्षण:- उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर ले।

(ii) **क्षैतिज आरक्षण :-** महिलायें, दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक व उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट :-

- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक ही श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी व उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें जिसका मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे।

(घ) **शुल्क:-** अभ्यर्थी सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
1	सामान्य वर्ग/ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रु० 750/- मात्र
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी/विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए/दिव्यांग/उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों हेतु	रु० 500/- मात्र

आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य के जिला सहकारी बैंक लि० या उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो **डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० देहरादून** के पक्ष में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मूल रूप से संलग्न किया जायेगा। शुल्क वापसी पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ङ) **चयन की प्रक्रिया :-** वर्ग-4 (सहयोगी/गार्ड) के पदों पर चयन हेतु कुल पचास अंक निर्धारित होंगे। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा-

(i)- हाईस्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा 'ए' ग्रेड हेतु 15 अंक, द्वितीय श्रेणी अथवा 'बी' ग्रेड हेतु 13 अंक तथा तृतीय श्रेणी अथवा सी व उससे निम्न उत्तीर्ण ग्रेड हेतु 11 अंक निर्धारित होंगे।

(नोट- ग्रेड-'ए' में सभी प्रकार के ए-ग्रेडिंग, ग्रेड-बी में सभी प्रकार की बी ग्रेडिंग तथा ग्रेड- सी व उससे निम्न में सभी प्रकार की 'सी' -ग्रेडिंग व उससे निम्न जो ग्रेडिंग हेतु स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित हो।)

(ii)- सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं /सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक (अनुभव 1 वर्ष के लिए 02 अंक व अधिकतम 5 वर्ष के लिए 10 अंक)।

(iii)- पाठ्योत्तर में जिला/राज्य स्तर/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों के 05 अंक ।

(iv)- शारीरिक दक्षता के 10 अंक, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़ हेतु अधिकतम 05 अंक व बैठक हेतु अधिकतम 05 अंक, एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु 50 मी० दौड़ हेतु अधिकतम 05 अंक व रस्सी कूद हेतु अधिकतम 05 अंक। (नोट:-दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की जायेगी।)

(v)- साक्षात्कार के 10 अंक।

(च) **चयन सूची :-**

(i)- साक्षात्कार व अन्य मूल्यांकन के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर अंक प्राप्त करें तो सम्बन्धित जिले के मूल निवासी को वरीयता प्रदान की जायेगी, यदि अभ्यर्थी एक ही जिले के हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ii)-यदि किसी अभ्यर्थी के चयनोपरान्त उसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाये तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद पर योगदान नहीं किया जाता तो उस पद को अगले चयन वर्ष के लिए अग्रणीत कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्रों का प्रेषण

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

2. पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित दिनांक 29-11-2020 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा "सचिव/महाप्रबन्धक, डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि0, देहरादून के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर "वर्ग-4 सहयोगी/गार्ड की भर्ती 2020-21" तथा "श्रेणी व उपश्रेणी" स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
3. साधारण डाक/कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित हो, चस्पा करेंगे।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 9x4 साइज का एक खाली लिफाफा अपने पत्र व्यवहार का पता लिख कर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चिपकाकर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी आवश्यक होगी—
 - अभ्यर्थी के उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जायेगा।
 - शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियाँ।
 - आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
 - सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं/सहकारिता विभाग में अनुभव, यदि हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
 - सेवायोजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
 - पाठ्योत्तर में जिला/राज्य स्तर/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों की प्रमाणित छायाप्रति।
7. अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र एवं बिना प्रमाण पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
8. यदि डाक व्यवस्था के कारण आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक बैंक कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

अन्य:-

1. ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, अपात्र माने जायेंगे।
2. अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो, नियुक्ति हेतु अपात्र माने जायेंगे।
3. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम से सेवाच्युत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
4. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिए किसी भी प्रकार के अनैतिक दबाव को उसकी अयोग्यता समझा जायेगा।

सचिव/महाप्रबन्धक
देहरादून, डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक
लि0, देहरादून।